संख्या-55/2024-933-22-4-2024-1863189

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष-2024-25 में जिला कारागार एवं केन्द्रीय कारागार आगरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29548/नम-1,2,3/का0यो0(12)/2024, दिनांक- 30-09-2024 एवं पत्र संख्या-29549/नम-1,2,3/का0यो0(12)/2024, दिनांक- 30-09-2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला कारागार, आगरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 265.40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 132.70 लाख एवं केन्द्रीय कारागार, आगरा में टाइप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 267.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 133.975 लाख वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-72/2023/1047-22-4-2023/001-1043- 2023, दिनांक 24.11.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला कारागार, आगरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 265.40 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 132.70 लाख एवं केन्द्रीय कारागार, आगरा में टाइप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 267.95लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 133.975 लाख अर्थात अलग-अलग उक्त दो कार्यो की अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि **रू0 266.675 लाख (रूपया दो करोड़ छाछठ लाख सरसठ हजार पॉच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक कि शासनादेश संख्या-72/2023/1047-22-4-2023/001-1043- 2023, दिनांक 24.11.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,66,67,500 (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4216017000300 कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2024-933-22-4-2024-1863189, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार आगरा।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9)निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10)वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।